संख्या- 7/2015/37 /71-आयुष-2-2015-13(बी)/2007

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0,लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय आजमगढ़ के अधूरे भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-नि0हो0/1041-बजट/प्लान/14-15/ 10007, दिनांक 05.08.14 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वर्ष 2009-10 में 07 जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालयों के साथ उक्त कार्यालय के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1067/71- 4-2009-13 (बी0)/07, दिनांक 20.04.2009 द्वारा कुल रू0 3,33,76,000/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। जिसके आधार पर प्रश्नगत कार्यालय हेतु रू0 47.68 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 91.69 लाख (बैठक दिनांक 10.12.2014 का कार्यवृत्त संलग्न) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि से रू0 37.00 लाख (रू0 सैंतीस लाख) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, होम्योपैथी/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रश्नगत कार्य पूर्व मंे किसी अन्य कार्ययोजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीेकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है। उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। निदेशक, होम्योपैथी यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
5. प्रयोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
7. प्रस्तावित बाॅट आउट आइटम्स श्रेणी के कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 में निर्धारित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34- लेखाशीर्षक-''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-264, दिनांक 12 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः- 7/2015/37 (1)/71-आयुष-2-2015/ तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
4- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in